

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2014/कार्तिक 23, 1936

No. 595]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2014/KARTIKA 23, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 808(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, कांस्टेबल (ड्राईवर) भर्ती नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, कांस्टेबल (ड्राईवर) भर्ती संशोधन नियम, 2014 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, कांस्टेबल (ड्राईवर) भर्ती नियम, 2013 के नियम (7) के उप-नियम (1) में, “या ऐसी अन्य आयु जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट की जा सके” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. ई-32012/08/2011/स्था. I]

हरीश चन्द्र, निदेशक (कार्मिक. I)

टिप्पण :-मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. संख्यांक 288(अ), तारीख 02 मई, 2013 को प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th November, 2014

G.S.R. 808(E).—In exercise of powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of Section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Industrial Security Force, Security Wing, Constable (Driver) Recruitment Rules, 2013, namely: -

1. (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force, Security Wing, Constable (Driver) Recruitment Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Industrial Security Force, Security Wing, Constable (Driver) Recruitment Rules, 2013, in rule (7), in sub-rule (1), the words “**or such other age as may be specified by the Central Government from time to time**” shall be omitted.

[F. No. 32012/08/2011/Estt.I]

HARISH CHANDER, Director (Pers.I)

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R No. 288(E), dated the 2nd May, 2013.